डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(Accredited Grade A+ by NAAC)

पत्रांक: COE/ 119/2025 दिनांक: 15 /04/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक स्तर के बी॰ए॰, बी॰एस॰सी॰, बी॰कॉम॰ द्वितीय, चतुर्थ व षष्ठम सेमेस्टर तथा परास्नातक स्तर के एम॰ए॰, एम॰कॉम॰, एम॰एस॰सी॰, द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर अप्रैल/मई–2025 सम (Even) की परीक्षाओं को नकलविहीन सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की निगरानी विश्वविद्यालय के ऑनलाईन निगरानी केन्द्र द्वारा पूर्व की भाँति किया जाना निधारित किया गया है।

उक्त के क्रम में सूच्य है कि जिन परीक्षा केन्द्रों के सी0सी0टी0वी0 कैमरें आनलाईन निगरानी में बंद पाये जायेगें, उन परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिदिन रूपये 25 हजार का आर्थिक दण्ड योजित किया जायेगा। साथ ही लगातार तीन दिन तक कैमरें बंद होने की स्थिति में परीक्षा केन्द्र को तत्काल निरस्त करते हुये आगामी तीन वर्ष हेतु परीक्षा सम्बन्धी कार्यों से डिबार की कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. नोडल अधिकारी/पी0आर0ओ0।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, नोडल परीक्षा केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समन्वयक/सदस्य, सी0सी0टी0वी0 कन्ट्रोल रूम।
4. उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय।
5. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
6. प्रभारी कुलपति कार्यालय, मा॰ कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. अधिकृत एजेन्सी–2023 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को सम्बन्धित महाविद्यालयों की लोगिन आई॰डी॰ पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक